

शाकभाजी अनुभाग कल्यानपुर
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक: वेजीएस- 614 / 2024-25

दिनांक: 15.01.2025

नीलामी नोटिस

समस्त सम्बन्धित/सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग, कल्यानपुर के अधीन शाकभाजी शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर, कानपुर पर बैंगन की नीलामी एंव सेन्टर आफ एक्सीलेंस फॉर वेजीटेबिल्स योजना के अर्न्तगत विभिन्न युनिटों में लगाये गये विभिन्न फसलो के परिक्षणो का उत्पादन की नीलामी जो कि मा० कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित कमेटी के सदस्यों के समक्ष दिनांक 18.01.2025 को अपराह्न 1.30 बजे सम्पन्न की होगी। इच्छुक क्रेता उक्त दिनांक को समय पर आकर बोली में सम्मिलित हो सकते हैं। नीलामी की शर्तें निम्नलिखित हैं।

1. बोली बोलने का अधिकार उसी को होगा जो जमानत स्वरूप नकद धनराशि अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में रू० 10000.00 (रू० दस हजार मात्र) जमा किया होगा।
2. उच्चतम बोली की कमेटी द्वारा उचित समझने पर कमेटी की अनुसंसा पर मा० कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
3. जिसकी बोली उच्चतम होगी उसकी जमानत धनराशि रोककर शेष सभी की जमानत धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
4. ठेकेदार स्वयं फलों को नहीं तोड़ सकेगा। वह वैज्ञानिक/परियोजना कर्मी द्वारा तुड़वाये गये फलो को प्राप्त करेगा।
5. ठेकेदार द्वारा शोध प्रक्षेत्र एंव पाली हाउस में अन्य फसल/परीक्षणों का नुकसान करते पाया गया तो उसकी जमानत धनराशि जब्त करके नीलामी निरस्त करके नीलामी में दूसरे नम्बर की बोली वाले व्यक्ति को दे दी जायेगी।
6. उक्त नीलामी दिनांक 31.03.2025 तक के लिये ही वैद्य रहेगी।

(पी०के०सिंह)

प्रभारी अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांक- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त दिनांक को समय पर अपने प्रतिनिधि को नीलामी सम्पन्न कराने हेतु भेजने का कष्ट करें।
2. अर्थ नियंत्रक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त दिनांक को समय पर अपने प्रतिनिधि को नीलामी सम्पन्न कराने हेतु भेजने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित फसल वैज्ञानिक, शाकभाजी अनुभाग।
4. प्रक्षेत्र अधीक्षक, शाकभाजी शोध प्रक्षेत्र, कल्यानपुर।
5. प्रभारी ए.के.एम.यू. वि०वि० की वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
6. सूचना पट शाकभाजी अनुभाग, कल्यानपुर।

P. K. Singh

15.1.2025

(पी०के०सिंह)

प्रभारी अधिकारी